

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 631 सन 2018

अन्तवान :-

1. धर्मपाल पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रमन पुत्री विजयसिंह जाति जाट निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

परोकार राज

निर्णय दिनांक 21/1/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 2/2 रि 5.9937 हैक् में से 100 हिस्सा , खाता संख्या 131/108 की कुल 1.5937 हैक् रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 554/523 की 4.3010 हैक् में से 160 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 73/63 की कुल 10.2720 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मुलचन्द पुत्र धन्नाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मुलचन्द पुत्र धन्नाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुलचन्द पुत्र धन्नाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मुलचन्द पुत्र धन्नाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है एवं पैतृक सम्पत्ति की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने खरीद भी गई थी पैतृक सम्पत्ति की आय व सयुक्त परिवार की आय से भूमि खरीद करने के कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तरदीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 2/2 रि 5.9937 हेक् में से 100 हिस्सा, खाता संख्या 131/108 की कुल 1.5937 हेक् रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 554/523 की 4.3010 हेक् में से 160 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 73/63 की कुल 10.2720 हेक् में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मुलचन्द पुत्र धन्नाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मुलचन्द पुत्र धन्नाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुलचन्द पुत्र धन्नाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज-615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाधिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारों के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायाधिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णतया चरपा होते है अतः वादी का वाद डिग्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

30/07/2021  
 न्यायाधिक (राजस्व)  
 नोहर (हनुमानगढ़)

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 2/2 रि 5.9937 हैक्ट में से 100 हिस्सा , खाता संख्या 131/108 की कुल 1.5937 हैक्ट रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 554/523 की 4.3010 हैक्ट में से 160 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 73/63 की कुल 10.2720 हैक्ट में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग चक 7 आरपीएम के अनुसार भूमि मुलचन्द वल्द धन्नराम के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मुलचन्द वल्द धन्नराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुलचन्द वल्द धन्नराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा पैतृक सम्पत्ति की आय से अन्य भूमि खरीद की गई है पैतृक सम्पत्ति व सयुक्त परिवार की आय एवं विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने व न्यायायिक दृष्टान्तों के मध्यनजर वाद भूमि पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्ली है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्ली किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 2/2 कि 5.79937 हैक्ट में से 100 हिस्सा , खाता संख्या 131/108 की कुल 1.5937 हैक्ट रोही मौजा चक 6 बरानी के खाता संख्या 554/523 की 4.3010 हैक्ट में से 160 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 73/63 की कुल 10.2720 हैक्ट में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हैके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्ली जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/7/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपनिवेशन विभाग (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाबदा दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. धर्मपाल पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र गूलचन्द जाति जाट निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रमन पुत्री विजयसिंह जाति जाट निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 631 सन 2019 निर्णय दिनांक- 31/7/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 2/2 कि 5.7937हैक में से 100 हिस्सा खाता संख्या 131/108 की कुल 1.5937हैक रोही मौजा चक 6 बाराणी के खाता संख्या 554/523 की 4.3010हैक में से 160 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 73/63 की कुल 10.2720 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हैके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बेक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेग

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

## संशोधित पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अन्वान :-

1. धर्मपाल पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रमन पुत्री विजयसिंह जाति जाट निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलद्वारा राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 631 सन 2019 निर्णय दिनांक- 31.07.2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151-152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नप्रकार से वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 2/2 कि 5.7937 हैक् में से 100 हिस्सा खाता संख्या 131/108 की कुल 1.5937 हैक् में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 बरानी के खाता संख्या 554/523 की 4.3010 हैक् में से 160 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 73/63 की कुल 10.2720 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हैके वादी एवं प्रतिवादी संख्या नो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेग

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )